कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा

स्वास्थ्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग. वेबसाईट – www.cgdme.in

क्रमांक / 8123 / संचिशि / नर्सिंग–छात्र / 2024 रायपुर, दिनांक / 05.09.24

वर्ष 2024 पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन साईकियाट्रिक नर्सिंग (Post Basic Diploma in Psychiatric Nursing) एक वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन सूचना

प्रवेश वर्ष 2024 में प्रदेश के शासकीय एवं निजी नर्सिंग महाविद्यालय में संचालित डिप्लोमा इन साईकियाट्रिक नर्सिंग (Post Basic Diploma in Psychiatric Nursing) एक वर्षीय पाठ्यक्रम, में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन निम्न समय–सारिणी अनुसार आमंत्रित किये जाते हैः–

क.	प्रकिया का विवरण	विवरण
1	**ऑनलाईन आवेदन शुल्क**	अनारक्षित (UR) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) – राशि रू. 1000 / – अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) – राशि रू. 500 / –
2	ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि होने पर संशोधन शुल्क (Edit Fee) का भुगतान, कर संशोधन (Edit) किया जा सकता है (आवेदन की अंतिम तिथि तक)	राशि रू. 1000 / – (रू. एक हजार मात्र)
3	**ऑनलाईन आवेदन – प्रारंभ तिथि**	**दिनांक 07.09.2024, प्रातः 11:00 बजे (11:00 Hrs) से**
4	**ऑनलाईन आवेदन – अंतिम तिथि**	**दिनांक 12.09.2024 सायं 05:00 बजे (17:00 Hrs) तक**

काउंसिलिंग, आबंटन एवं प्रवेश संबंधित समस्त जानकारी संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट **www.cgdme.in** में उपलब्ध कराई जायेगी। आवेदक वेबसाईट **www.cgdme.in** का नियमित अवलोकन कर, जानकारी प्राप्त करें।

ऑनलाईन पंजीयन आवश्यक जानकारीः–

(1) **ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यकम प्रवेश नियम 2019 एवं संशोधन दिनांक 02 फरवरी, 2022 का पूर्णतः अध्ययन करके ही प्रकिया में सम्मिलित हों, विशेषकर आरक्षण / काउंसिलिंग प्रक्रिया / बॉण्ड इत्यादि।**

(2) ऑनलाईन आवेदन के **साथ ही संस्था का चयन भी करे, क्योंकि संस्था चयन (Choice) हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।**

(3) यदि ऑनलाईन आवेदन पूर्ण करने के बाद Lock & Submit भी कर चुके है, तथा **ऑनलाईन आवेदन में परिवर्तन करना चाहते है तो, परिवर्तन हेतु एडीट (Edit) शुल्क रू. 1000 / – (रू. एक हजार मात्र) जमा कर, ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक परिवर्तन कर सकेंगे। आवेदन में Edit Option का लाभ लेने पर भी आपके द्वारा दिये गये ई–मेल एवं मोबाईल नं. अपरिवर्तनीय होगा।**

(4) स्क्रूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया हेतु छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यकम प्रवेश नियम 2019 के नियम 9 (बीस) का दस्तावेज सूची का अवलोकन करें तथा ***ऑन–लाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध रखें*** *(देखें : छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यकम प्रवेश नियम 2019 नियम 9 (बीस))*।

(5) ऑनलाईन आवेदन में कोई भी त्रुटि **(जैसे :– अपूर्ण आवेदन / पंजीयन फीस का गेटवे (Bank Gateway) से जमा न होना इत्यादि)** होने पर आप अपात्र हो जाते है। **अतः ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि से 24 घण्टे पूर्व कार्यवाही पूर्ण करना एक सुरक्षित प्रक्रिया है।**

(6) **शुल्क जमा हेतु Credit Cards / Internet Banking / Debit Card** ही मान्य होगें तथा अतिरिक्त शुल्क जमा होने पर रिफण्ड जमाकर्ता खाते में ही वापस किया जा सकेगा। किसी अन्य खाते में स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।

(7) प्रथम काउंसिलिंग में आबंटित अभ्यर्थियों को संवीक्षा कराना एवं पात्र होना आवश्यक है तथा शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा अन्यथा अपात्र हो जायेंगे *(देखें :छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यकम प्रवेश नियम 2019 के नियम 9 (नौ))*।

(8) ऑनलाईन आवेदन पश्चात् आगामी कार्यवाही हेतु काउंसिलिंग शेड्यूल (**Counselling Schedule**) का अवलोकन करे।

निरंतर / /2/ /

नोट :–

1/ उपरोक्त सूचना में नियम की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई किन्तु सम्पूर्ण प्रवेश प्रक्रिया नियम हेतु "छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2019 एवं संशोधन दिनांक 31 जनवरी, 2022 (02 फरवरी, 2022)" का अवलोकन करें।

2/ काउंसिलिंग से संबंधित जानकारी हेतु वेबसाईट **www.cgdme.in** का नियमित अवलोकन करें।

3/ आवेदन में **Edit Option** का लाभ लेने पर भी आपके द्वारा दिये गये ई–मेल एवं मोबाईल नं. अपरिवर्तनीय होगा।

4/ आवेदन शुल्क का भुगतान अंतिम तिथि से कम से कम 36 घण्टे पूर्व कर दें, चूंकि बैंक गेटवे इत्यादि संबंधित जटिलताओं से कई बार ऑनलाईन किये गये भुगतान का क्लीयरेन्स (**clearance**) 24 घण्टे ले लेता है। अन्यथा समय–सीमा में आवेदन करने हेतु दो बार ऑनलाईन आवेदन शुल्क जमा करना पड़ता है, यद्यपि अतिरिक्त पंजीयन शुल्क यदि उपरोक्त उल्लेखित जटिलताओं के कारण जमा हो जाता है तो, यह राशि वापसी योग्य है।

5/ सभी निजी नर्सिंग महाविद्यालय का आबंटन भी संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा। अतः प्रवेश संबंधित कार्यवाही हेतु किसी व्यक्ति/संस्था के धोखे में नहीं फंसे।

5/9/24

अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

05.09.24

संचालक
चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़